Padma Vibhushan

JUSTICE (RETD.) SHRI JAGDISH SINGH KHEHAR

Justice (Retd.) Shri Jagdish Singh Khehar, former Chief Justice of India is one of the most distinguished jurists of India.

2. Born on 28th August, 1952, as a citizen of Kenya, Justice Khehar migrated to India with his parents in 1965 and obtained Indian nationality. He obtained his B.A. LL.B. degree in 1977 and the LL.M. degree in 1979, from the Panjab University, Chandigarh. The Bar Council of Punjab and Haryana enrolled him as an Advocate, in 1979. During the course of his practice, he was appointed as Additional Advocate General by the State of Punjab, and as Senior Standing Counsel by the Union Territory of Chandigarh, in 1992. He was designated as Senior Advocate, by the Punjab and Haryana High Court, in 1995.

3. Justice Khehar was elevated to the Bench of the Punjab and Haryana High Court, in 1999. He was first appointed as Chief Justice of the High Court of Uttarakhand, and then as Chief Justice of the High Court of Karnataka, in 2009 and 2010 respectively. He was appointed as a Judge of the Supreme Court of India, on September 13, 2011, and was sworn-in as the 44th Chief Justice of India, on January 4, 2017.

4. As a judge of the Supreme Court of India, Justice Khehar delivered a number of landmark judgments, in different areas and subjects of law. He also authored a number of Constitution Bench judgments. He co-authored the judgment in a Presidential Reference, under Article 143(1) of the Constitution, wherein, he held that no part of the natural resources of the country, could be dissipated, as a matter of largess, charity, donation or endowment, for private exploitation. In Madras Bar Association vs. UOI, he declared the National Tax Tribunal Act, 2005, as unconstitutional. In Supreme Court Advocates-on-Record Association vs. UOI, he co-authored the majority judgment, wherein, the National Judicial Appointments Commission Act, 2014, was declared as unconstitutional and void. He co-authored the judgment in Nabam Rebia vs. Dy. Speaker Arunachal Pradesh Legislature Assembly, wherein, he laid down the limits of the powers of Governors. In Re: Hon'ble Shri Justice C.S. Karnan, he authored the judgment convicting a sitting High Court Judge, to six months imprisonment, for having committed criminal contempt. In Shayara Bano vs. UOI, he co-authored the judgment, delivered by a multi-faith bench, in which the majority opinion set aside the practice of divorce by 'triple talaq', prevalent amongst Muslims in India.

5. Justice Khehar also delivered lectures on different facets of the Indian judiciary, in Europe and in China, where he represented the Supreme Court of India. In March 2018, after he demitted his office as Chief Justice of India, he was invited by the University of Birmingham, as a key-note speaker. He was also invited by the Federal Constitution Court of Germany, to be a part of a delegation of Supreme Court judges, for an exchange of ideas programme, on current issues of mutual interest, which he attended in June 2018. He was also invited to Belgium, to participate in a conference on the theme, 'Debating Ethics: Dignity and Respect in Data Driven Life', in the prestigious Hemicycle of the European Parliament, which he addressed in October 2018.

6. Justice Khehar has been honoured by many organizations. The Panjab University, Chandigarh, conferred a degree of Doctor of Laws (honoris causa) on Justice Khehar, at its 66th convocation, held in March 2017. The Guru Nanak Dev University, Amritsar, also conferred a degree of Doctor of Laws (honoris causa), on Justice Khehar, at its 44th convocation, held in May 2018.

न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्री जगदीश सिंह केहर

न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्री जगदीश सिंह केहर भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और भारत के सबसे प्रतिष्ठित न्यायविदो में से एक हैं।

2. 28 अगस्त, 1952 को केन्या के नागरिक के रूप में जन्मे, न्यायमूर्ति केहर 1965 में अपने माता–पिता के साथ भारत आ गए और भारतीय नागरिकता प्राप्त की। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ से 1977 में बीए एलएलबी की डिग्री और 1979 में एलएलएम की डिग्री प्राप्त की। पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल ने 1979 में उन्हें एक वकील का दर्जा दिया। अपनी प्रैक्टिस के दौरान, उन्हें पंजाब राज्य द्वारा अतिरिक्त महाधिवक्ता और 1992 में चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र द्वारा वरिष्ठ स्थायी वकील नियुक्त किया गया। 1995 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने उन्हें वरिष्ठ अधिवक्ता का पद सौंपा।

3. 1999 में न्यायमूर्ति केहर को पदोन्नत करते हुए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की बेंच में शामिल किया गया। उन्हें 2009 और 2010 में क्रमशः पहले उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और फिर कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। 13 सितंबर, 2011 को वह भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए, और 4 जनवरी, 2017 को उन्हें भारत के 44 वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई थी ।

4. भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में, न्यायमूर्ति केहर ने कानून के विभिन्न क्षेत्रों और विषयों में कई ऐतिहासिक निर्णय सुनाए। उन्होंने संविधान पीठ के कई निर्णयों को भी लिखा है। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत राष्ट्रपति संदर्भ में निर्णय का सह–लेखन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि देश के प्राकृतिक संसाधनों का कोई भी हिस्सा निजी दोहन के लिए उपहार, चैरिटी, डोनेशन या दान के रूप में नष्ट नहीं किया जा सकता। मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ में, उन्होंने राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण अधिनियम, 2005 को असंवैधानिक घोषित किया। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स–ऑन–रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ में, उन्होंने बहुमत के फैसले का सह–लेखन किया, जिसमें राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014 को असंवैधानिक और रद्द घोषित किया गया। उन्होंने नबाम रेबिया बनाम उपाध्यक्ष, अरुणाचल प्रदेश विधान सभा मामले में निर्णय का सह–लेखन किया, जिसमें उन्होंने राज्यपालों की शक्तियों की सीमाएं निर्धारित कीं। उन्होंने न्यायमूर्ति सी.एस. कर्णन के मामले में, उच्च न्यायालय के एक कार्यरत न्यायाधीश को आपराधिक अवमानना के लिए छह महीने के कारावास की सजा सुनाते हुए निर्णय सुनाया। शायरा बानो बनाम भारत संघ मामले में, उन्होंने बहु–धर्म पीठ द्वारा दिए गए निर्णय का सह–लेखन किया, जिसमें बहुमत की राय ने भारत के मुसलमानों के बीच प्रचलित 'तीन तलाक' द्वारा तलाक की प्रथा को खारिज कर दिया।

5. न्यायमूर्ति केहर ने यूरोप और चीन में भारतीय न्यायपालिका के विभिन्न पहलुओं पर व्याख्यान भी दिए, जहां उन्होंने भारत के उच्चतम न्यायालय का प्रतिनिधित्व किया। मार्च 2018 में, भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपना पद छोड़ने के बाद, उन्हें बर्मिंघम विश्वविद्यालय द्वारा मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया। उन्हें जर्मनी के संघीय संविधान न्यायालय द्वारा भी आपसी हित के मौजूदा मुद्दों पर विचारों के आदान–प्रदान के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया गया था, जिसमें उन्होंने जून 2018 में भाग लिया। उन्हें 'डिबेटिंग एथिक्सः डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट इन डेटा ड्रिवेन लाइफ' विषय पर यूरोपीय संसद के प्रतिष्ठित हेमीसाइकल में एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए बेल्जियम में भी आमंत्रित किया गया था, जिसे उन्होंने अक्टूबर 2018 में संबोधित किया।

6. न्यायमूर्ति केहर को कई संगठनों द्वारा सम्मानित किया गया है। पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ ने मार्च 2017 में आयोजित अपने 66वें दीक्षांत समारोह में न्यायमूर्ति केहर को डॉक्टर ऑफ लॉज़ (मानद) की उपाधि प्रदान की। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर ने भी मई 2018 में आयोजित अपने 44 वें दीक्षांत समारोह में न्यायमूर्ति केहर को डॉक्टर ऑफ लॉज (मानद) की उपाधि प्रदान की।